nt>

14.24 hrs.

CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

i. **Situation arising out of hardships being faced by opium cultivators in opium growing areas and steps taken**

by the Government in regard thereto

Title: Shri Dushyant Singh called the attention of the Minister of Finance regarding hardship faced by opium cultivators.

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR): Sir, I call the attention of the Minister of Finance to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "The situation arising out of hardships being faced by opium cultivators in opium growing areas and steps taken by the Government in regard thereto. "

* THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): The Government notifies the general conditions for grant of licence for cultivation of opium poppy on an annual basis for each opium crop year. A crop year is the period from 1st October of any year to 30th September of the next year. The `Opium Licensing Order' is formulated keeping in view various factors, such as the requirements under the United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961, the welfare of opium cultivators, the domestic and export requirements of opium and the current stocks of opium in possession with the Government Opium Factories, etc.

The `Opium Licensing Order' for the crop year 2004-05 was announced *vide* notification GSR 679 (E) dated 15th October, 2004. Apart from other eligibility conditions, the said order provides for issue of licence to all eligible cultivators who tendered opium in the preceding crop year 2003-04 in accordance with the Minimum Qualifying Yield (MQY) of 54 kilogram per hectare in the State of Madhya Pradesh and Rajasthan and 48 kilogram per hectare in Uttar

Pradesh. The Minimum Qualifying Yield (MQY) is fixed taking into account the forewarning of Minimum Qualifying Yield (MQY) given in the Opium Licensing Order for the preceding crop year, the average yield of opium tendered by the cultivators in the preceding crop year and other relevant factors. In order to limit opium cultivation, keeping in view the factors I have indicated, the maximum area permitted for cultivation to the individual licensed cultivator in the Order for the crop year 2004-05 was kept at 10 are *i.e.* 1/10 of an hectare. A five per cent increase in the procurement price has also been announced for the crop year 2004-05.

To discourage the growing trend of tendering water-mixed opium by certain cultivators, a specific provision was introduced for the first time in the current year's opium policy debarring from licence for one crop year all such cultivators who had tendered water-mixed opium having a consistency below 55 degree consistency *i.e.* opium containing less than 55 per cent solid. In view of the representations received from the opium cultivators against the introduction of this provision without advance forewarning in the `Opium Licensing Order' for the preceding crop year, the provision has been deleted through the notification GSR 784(E) dated 3.12.2004. Opium poppy cultivation licence has now been granted to all such cultivators who have tendered water-mixed opium below 55 degree consistency provided they fulfilled the Minimum Qualifying Yield (MQY) criteria and other eligibility conditions. Thus while this provision has been deleted for the purpose of licensing in the crop year 2004-05, the forewarning in this regard has been retained whereby the opium cultivators are forewarned that those cultivators who tender water-mixed opium below 55 degree consistency in the crop year 2004-05 would not be eligible for licence in the next crop year 2005-06.

The `Opium Licensing Order" also contains a forewarning of Minimum Qualifying Yield (MQY) which is intended to inform the cultivators, well in advance, regarding the Minimum Qualifying Yield (MQY) which they would be required to tender to be eligible for licence in the succeeding crop year. In the `Opium Licensing Order' for the crop year 2004-05, a forewarning was given to the opium cultivators that they would be required to tender opium in accordance with the MQY of 49 kilogram per hectare for Uttar Pradesh and 58 kilogram per hectare for Madhya Pradesh and Rajasthan in order to become eligible for licence in the next crop year 2005-06. The Minimum Qualifying Yield (MQY) forewarning for Rajasthan and Madhya Pradesh was fixed based on the average yield of

opium in these two States. However, representations against the sharp rise in Minimum Qualifying Yield (MQY) forewarning for Madhya Pradesh and Rajasthan were considered and the Minimum Qualifying Yield (MQY) forewarning for Madhya Pradesh and Rajasthan has been reduced from 58 kilogram per hectare to 56 kilogram per hectare *vide* the above mentioned notification dated 3rd December, 2004.

The Government of India has over the years taken several measures to benefit cultivators. The procedure for testing opium at the field has been improved by introduction of scientific method of testing by electric ovens, the introduction of collection of separate 50 gram samples from individual opium cultivators to identify the actual adulterators from the *bona fide* cultivators, the periodic increase of procurement prices to increase the remuneration to cultivators and upgradation/modernisation of the Government Opium and Alkaloid Works to increase the consumption of opium.

* Statement was also plalced in the Library, See No. LT 1068/04

श्री दुयंत सिंह : सभापति महोदय, मैं आपकी परमीशन से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अफीम की खेती राजस्थान और मध्य प्रदेश में होती है। राजस्थान में अफीम की खेती कोटा के रामगंज मंडी, सांगोद और लाडपुरा में होती है। बारन में बारन, झबड़ा, चीचाबड़ोद, अटरू में होती है। झालावाड़ में झालारापाटन, खानपुर, एकलेरा, पचपाड़ा, पिड़ावा गंधार, मनोहरथाना में होती है और चित्तौड़गढ़, भीलवाडा और उदयपुर में भी होती है । हमारे पड़ौस के क्षेत्र मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी अफीम की खेती होती हैं, जहां से चेयरमैन साहब आप आते हैं। इसके अलावा उज्जैन में भी अफीम की खेती होती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी अफीम की खेती होती है। मैं आपके सामने अपने क्षेत्र की बात रखता हूं। हर साल केन्द्र सरकार किसानों के लिए अफीम की नीति बनाती है। इस साल जब से यू.पी.ए. सरकार आई है। जब से यू.पी.ए सरकार ने केन्द्र में अपना दायित्व संभाला है, सरकार के अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। किसानों को हम सबके साथ लेकर चलना चाहते हैं। सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि हम किसानों की एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए तथा उनकी वैलफेयर के लिए सब काम करेंगे, लेकिन सरकार ने ऐसी नीति बनाई जिससे हमारे काश्तकार भाइयों को बहुत झटका लगा है। सरकार की इस नीति के कारण जो 20 आरी का काश्तकार था, उसे सरकार ने दस आरी का काश्तकार कर दिया। मैं वित्त मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि उन्होंने खेती का जो औसत कम किया है, उसे पूरा करें तथा किसानों को आर्थिक समृद्धि दें, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और क्षेत्र की प्र ागति भी होगी। लेकिन सरकार ने ऐसा काम किया है कि जो पांच पट्टे के किसान थे, सरकार की अफीम नीति के कारण उनके पांच पट्टे में कटौती की गई है। मैं निवेदन करूंगा कि उनके पांच पट्टे बहाल किये जाएं।

सभापति महोदय, अभी कहा गया था कि किसान से जो अफीम की खरीद होती है, हमने उसके दाम बढ़ा दिये हैं। हमारी जो हर साल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में सभी सासंदों ने लगभग 3000 से 3500 रु. की मांग की है। लेकिन आपने इसे केवल पांच प्रतिशत बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि इसे आप थोड़ा और बढ़ायें। हाड़ौती मध्य प्रदेश में मालवा का जो क्षेत्र है, उसमें छोटे काश्तकार किसान है। उनके लिए दस आरी पट्टा करना एक बड़ा झटका है। किसान भाई चाहते हैं कि उन्हें 20 आरी का क्षेत्र मिले, जिससे उनके क्षेत्र में प्रगति हो सके। हमारे यहां किसान भाइयों पर बिना कारण के केसिज चलते हैं। खेती के समय उनके घरों मे छापे पड़ते हैं। मैं चाहूंगा कि इस बारे में एक नई नीति बने।

मैं आपसे सहमत हूँ कि जो इल्लिसिट ड्रग्ज़ का काम करते हैं, उनके विरोध में हमें एक कड़ी नीति बनानी चाहिए जिससे इन ड्रग्ज़ के कारोबार को हम रोक सकें। इससे सभी सांसद सहमत होंगे और इससे देश में ड्रग्ज़ का मामला खत्म होगा। आज की तारीख में कभी-कभी यह होता है कि नैचुरल कैलामिटीज़ के द्वारा हमारे किसानों को खेत को पलटना पड़ता है और आपके जो नारकोटिक्स कमिश्नर हैं जो ग्वालियर में बैठते हैं, वह तहसीलदार और पटवारी से एक रिपोर्ट मांगें। आपके नारकोटिक्स विभाग के जो अधिकारी लोग हैं, जो खेती को देखते हैं, वह बहुत देर से आते हैं। मैं चाहूँगा कि वे तुरंत आएं जिससे एक अच्छा वातावरण बने और हमारे किसान भाइयों को सुविधा मिले। हर साल जब माल बनता है तो टैस्टिंग होती है।

During the testing season, the material is found good and after testing, the material goes to Gazipur where the stocks of Rajasthan go. There are two different factories, one in Neemach in Mandsaur, and the other one in Gazipur. In those places, they find the products adulterated. I believe the farmers are toiling with their sweat and are working round the clock. They are working in a season when it is hard to cultivate opium. I would request you to have on the spot check and the farmers should be given money on the spot for their produce . They should not wait for the materials to go back to Gazipur or Neemach to get their money back. Every year, we have a policy formed by the hon. Finance Minister. I would request the Finance Minister to include, apart from MPs and MLAs, farmers also in policy-making. Farmers should be called and you may have an interaction with them. They may be included in the *Salahkar* Committee so that their views may be included in the policy-making. We have to have a new policy.

With the policy, we have to look at the insurance of the opium cultivators. Opium cultivators are producing opium in the months of October to March. During that period, there are a lot of natural calamities which take place. Thus, the opium cultivators have to face severe hardship. I am personally having a sympathetic view towards the farmers and the people of our nation. I would request you to have an insurance programme for the farmers. किसान भाइयों के लिए एक इनश्योरैन्स स्कीम की आवश्यकता है। उसे आप तैयार करें। आपने मीटिंग की थी और कहा था कि हमारे पास इतना माल हमारी फैक्ट्रीज़ में पड़ा हुआ है, हम उसका क्या करें। What should I do with the material lying in Gazipur and Neemach? We have two good factories which produce them. Here, I must say that these factories are producing narcotine, papaverine and codeine phosphate. At that point of time, I must say that morphine salts and codeine phosphate are the main products. These are used in the Indian pharmaceutical companies. हमारी दवा कंपनियों के लिए इनकी आवश्यकता है। पिछली सरकार में यूनियन कैबिनेट ने डिसीज़न लिया और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय सुामा जी ने नोट किया था जिसको मैं क्वोट करना चाहता हूँ। Now, there are only two Government-owned factories in this field and they have inadequate capacity to meet the needs of the drug companies which use opium as raw material. So, I request you that in order to benefit the farmers, we need to open up the industry, and invite private entrepreneurs in this area, particularly pharmaceutical companies.

I would go to a Question which was asked by our Chairman, Dr. Laxminarayan Pandey, who is sitting in the Chair now, about the foreign companies. It was answered on 16.3.01. He asked the Government about the quantities of opium exported as per contracts of that year, 2001. According to that reply, a company called Mallinckrodt Inc. USA, was contracted 380 metric tonnes of opium in that year. The quantity exported to that company was 345 metric tonnes. There is another company called, Noramco of Delaware Inc, USA. A quantity of 150 metric tonnes was exported to them. A quantity of 142 metric tonnes was exported to Tomen Corporation, Japan. I must say that totally 649 metric tonnes was exported abroad. Why can we not do it here? Why can we not make a policy for the pharmaceutical companies so that we can open up the market, increase the production and help the common man?

महोदय, जिस कॉमन आदमी के प्रति आप इतनी श्रद्धा रखते हैं, माननीय मनमोहन सिंह जी रखते हैं, उसके कल्याण के बारे में भी आप कुछ काम करें।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि We are for the farmers. We have been voted by the people. We have to work for them. I would request the hon. Finance Minister to consider this and help the farmers.

महोदय, मैं अन्त में किसान के बारे में दो पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं -

" सबके लिए अन्न उपजाता है, खुद फिर भी भूखा सो जाता है।

सचमुच वह है अन्नदाता, उसका हम सब पर कर्जा है।

फिर यदि वह हक मांग रहा है, देने में कैसा हर्जा है। "

महोदय, एक बार मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं क्योंकि आप किसान भाइयों के लिए बहुत श्रद्धा रखते हैं, इसलिए आप उनके लिए श्रद्धापूर्वक नीति बनाएं। इससे हमारे किसान भाइयों को सुविधाएं मिलेगी और उन्हें अच्छा वातावरण मिलेगा। मैं विशे रूप से राजस्थान और मालवा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं जिससे वहां समृद्धि आ सके।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि नई अफीम नीति में बहुत सी विसंगतियां हैं। मैं उन विसंगतियों की ओर आपका ध्यान आकर्िात करना चाहता हूं।

महोदय, जैसा अभी दुयन्त सिंह जी कह रहे थे कि आज हमारे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अफीम का उत्पादन होता है और एक लाख से अधिक किसानों को वित्त मंत्रालय ने अफीम की खेती करने के पट्टे दे रखे हैं। यदि कुल मिलाकर देखें तो अफीम की खेती में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 12 लाख से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन मैं इसे दुर्भाग्य कहूं कि इस र्वा जो ओपीयम पालिसी की घोाणा की गई है, वह ठीक नहीं है। प्रति र्वा ओपीयम की जो पालिसी बनती थी, वह ओपीयम के किसानों और अधिकारियों की उपस्थिति में बनती थी। â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपलानी जी, जो पाइंटेड क्वैश्चन हैं, केवल वही पूछिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं। इस र्वा ओपीयम की जो पालिसी बनाई गई है उसमें निश्चित रूप से मंत्री जी ने अधिकारियों के साथ बात कर के, किसानों के साथ बात कर के, उनसे मिलकर बनाई होगी, लेकिन मैं उनका ध्यान पिछले छः सालों में बनाई गई अफीम नीति की ओर आकर्िात करना चाहता हूं। जब भी अफीम की पालिसी बनती है, उसमें हर साल ओपीयम के किसानों और सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक होती है और जिस दिन बैठक होती है, उसी दिन निर्णय कर दिया जाता है कि इतना रकबा ओपीयम के अधीन लाया जाएगा या क्या भाव रखना है, क्या नहीं रखना है। यह सब उसी दिन निश्चित होता था जिस दिन बैठक होती थी और उसी दिन घोाणा कर दी जाती थी, लेकिन इस बार, पहली बार, ऐसा हुआ कि मीटिंग हुई, हमसे बात हुई, अधिकारी भी उपस्थित थे, लेकिन वित्त मंत्री जी ने ओपीयम पालिसी की घोाणा नहीं की और हमसे कहा कि ठीक है, आप जाइए। ओपीयम पालिसी घोाित कर दी जाएगी। â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Kriplani, you please ask only pointed questions.

श्री श्रीचन्द कृपलानी : महोदय, वित्त मंत्री जी ने इस साल जो अपना पहला बजट भााण दिया था, उसमें उन्होंने किसानों के हमदर्द बनने की बड़ी-बड़ी बातें कही गई थीं और कहा था कि हम किसान भाइयों की हर प्रकार से मदद करेंगे, लेकिन इस सरकार की इस र्वा की ओपीयम पालिसी को देखकर हमें बहुत तकलीफ हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक लाख प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से 12 लाख किसान इस खेती में लगे हुए हैं, लेकिन, ओपियम पालिसी ठीक नहीं बनी है। कई ि वसंगतियां उसमें रह गई हैं। कहीं पालिसी में सरकार ने 20 हजार पट्टों को काटकर 10 हजार कर दिया है और कहीं जिस क्षेत्र में 5 कास्तकार थे, उनके सारे पट्टे काट दिए गए हैं। हमने जहां किसानों के भाव बढ़ाने की बात की, वहां भाव नहीं बढ़ाए गए। कई समस्याएं हैं, ओपीयम पौली की वजह से 55 की गाढ़ता कर दी गई, औसत 58 कर दी गई। हमने आपसे निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अफीम की खेती होती है, उन सभी जगह औसत बराबर होना चाहिए।

महोदय, अब मैं प्वाइंटेड प्रश्न करता हूं, मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा। वित्त मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात पर गंभीरता से विचार करें। आज हिन्दुस्तान में अफीम की खेती ऐसी खेती है, आप भले ही कितनी ही बात कर लें कि अफीम की खेती, इसका स्टाक हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए हम इसका रकबा आधा कर रहे हैं। कल आप कहेंगे कि हमारे पास गेहूं का स्टाक इकट्ठा हो गया है, मक्का इकट्ठा हो गया है, किसानों को इसकी खेती बंद कर देनी चाहिए। वित्त मंत्री जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में गंभीरता से विचार करें। आपका 10 आरी का 20 आरी करने का विचार है या नहीं? इसके बारे में हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हमने आपसे कहा था कि अगर आप अफीम की तस्करी को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए जो बाजार मूल्य है और आप किसान को जो पैसे दे रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ समानता आनी चाहिए और अगर उसमें समानता नहीं आएगी तो तस्करी रुक नहीं सकती तथा समानता लाने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए।

महोदय, हमने यह भी कहा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में लगातार पांच साल तक अकाल की स्थिति रही और प्राकृतिक आपदा की वजह से कितने अफीम काश्तकार सही औसत नहीं दे पाए और उसकी वजह से हजारों काश्तकारों के पट्टे काट दिए गए। हमारा आपसे निवेदन है कि 500 ग्राम तक जितने भी कटे हुए पट्टे हैं, उन काश्तकारों को पट्टे दिए जाएं। आपने सन् 2004-05 में कहा था कि 58 की औसत लेंगे और फिर आपने हमारी रिकवेस्ट पर 56 की औसत कर दी।

मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह की परिस्थिति हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है, उनकी औसत 54 ही रखी जाए, तभी किसानों का भला हो सकता है। हम जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, अभी दुयंत सिंह जी मारफीन, कोरडीन और थिबेन के बारे में कह रहे थे कि आपको एक्सपोर्ट के बारे में विचार करना पड़ेगा। विशेा रूप से हमारे जो नीमच और गाजीपुर के कारखाने हैं, उनके आधुनिकीकरण की बात एनडीए की सरकार में हुई थी, पता नहीं यूपीए की सरकार बनने के बाद वह आधुनिकीकरण का कार्य रोक दिया गया है। अगर आप आधुनिकीकरण करेंगे तो जो दो पारी नीमच और गाजीपुर के कारखानों में चल रही है, उसकी तीन पारी कर देंगे तो हमें अफीम की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी और किसानों को पट्टे दे पाएंगे।

महोदय, हम आपसे समय-समय पर रिकवेस्ट भी करते रहे हैं कि हम जब तक किसानों को नये पट्टे नहीं देंगे, नये मौजे नहीं खोलेंगे तब तक हमारे देश के किसानों का भला नहीं हो सकता। अब धारा 8/29 के बारे मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आपने यह एक ऐसी धारा बना रखी है कि अगर एक अफीम का तस्कर पकड़ा जाता है और उसकी झूठी, सच्ची दुश्मनी होती है, वह दस काश्तकारों का नाम ले लेता है तो उन दस के खिलाफ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो, पुलिस वाले कार्यवाही करते हैं और पैसे खा जाते हैं। उस काश्तकार को परेशान करने लग जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि धारा 8/29 को भी आप समाप्त कर देंगे तो उससे किसान को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपने जो नई अफीम की पालिसी बनाई है, उस पर एक बार फिर से विचार करके, हमारी जो भाव बढ़ाने की मांग है, नये पट्टे देने की मांग है, दस आरी से 20 आरी करने की और 500 ग्राम तक के कटे हुए जो पट्टे हैं उन पट्टों को वापस देने की मांग है, जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं, जिनसे कि आप देश के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा-बहुत भी कर सकते हैं, उसे करने का प्रयास करेंगे। आपने जो बजट के समय कहा था कि मैं किसान के लिए हूं, उसका सही चरित्र आप साबित कर पाएंगे।

महोदय, अंत में वित्त मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपको ध्यान होगा कि आप छः साल पहले चित्तौड़गढ़ आए थे। वहां आपके आने पर हमने किसानों का बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। उस समय वहां 25,000 लोग इकट्ठे हुए थे। उस समय श्री जसवंत सिंह जी आपको लेकर वहां पधारे थे। आपने उस समय हमें बहुत आश्वासन दिया था, उस छः साल पहले के दृश्य को याद करके आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से अफीम काश्तकारों का भला हो जाएगा।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Nobody bothered about this during the last six years. ...(*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, हमारे साथी दुयंत सिंह जी के अफीम उत्पादन के क्षेत्र में अफीम उत्पादकों के सामने जो कठिनाई है, उस पर आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी से प्रश्न पूछने का मौका दिया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा और कुछ सुझाव भी रखना चाहूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश में, खास कर बाराबंकी और गाजीपुर, गाजीपुर में तो अफीम बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन बाराबंकी और बरेली वगैरह में खेती का उत्पादन होता है, लेकिन इधर किसान बहुत परेशान हैं और वे इसलिए परेशान हैं कि इधर सूखे की चपेट और समय पर वार्ा न होना मुख्य कारण है।

भीाण जल संकट के कारण भी किसान बहुत परेशान हुए हैं, खासकर अफीम की खेती में प्रायः देखा गया है कि 8 से 10 बार पानी की जरूरत पड़ती है और पानी न मिलने के कारण किसान इस समय बहुत परेशान हैं, बेहाल हैं और भुखमरी के कगार पर भी हैं। तमाम सरकारें आती हैं और कहती हैं कि किसानों के पानी देंगे, नहरों में पानी देंगे, लेकिन आज किसान देश में 80 प्रतिशत किसान खेती पर निर्भर हैं, लेकिन उसकी तरफ हम विशेा ध्यान नहीं देते हैं। ताजा उदाहरण है कि मध्य प्रदेश के 13 हजार काश्तकार जो अफीम की खेती करते थे, उन्होंने भीाण जल संकट के कारण अफीम की खेती करना बन्द कर दिया है। यह एक तरीके से बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या है। हर क्षेत्र की एक भौगोलिक परिस्थिति होती है, कहीं किसी चीज का उत्पादन ज्यादा है, कहीं खाद्यान्न का उत्पादन ज्यादा है, कहीं अफीम का उत्पादन है, लेकिन कहीं जल वार्ा के कारण किसान केवल चुने हुए पदार्थों की ही खेती कर पाता है, खाद्यान्न की खेती कर पाता है, इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि अगर हमें किसानों के उत्पाद और उत्पादन के लिए अफीम के लिए हमें यहां सोचने के लिए विवश हैं तो उनके लिए हमें कुछ करना पडेगा। इसी प्र ाकार से मध्य प्रदेश के पांच हजार किसानों को लाइसेंस देने के बावजूद भी वे खेती करने से वंचित रहे और उन्होंने मना भी कर दिया, इसलिए कर दिया, क्योंकि उन्हें वहां पर पानी नहीं मिल पाया है।

दूसरी बात आज विश्व बाजार में जब प्रतिस्पर्धा है तो अच्छी क्वालिटी की अफीम पर भी हमें विचार करना होगा, तभी हमें विदेशी मुद्रा मिल सकेगी और हम विकास कर सकेंगे। â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कृपया सीधे प्रश्न करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी जो अवैध रूप से जो तस्करी हो रही है, उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। वहां की गवर्नमेंट से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बात करनी चाहिए ताकि तस्करी पर रोक लगे। तस्करी पर रोक लगेगी तो हमारे देश में आतंकवादी के नाम पर जो विकास हो रहा है, उसमें भी कमी आने से हम विकास कर सकते हैं। दूसरी तरफ नशीले पदार्थों की, मादक पदार्थों की तस्करी होने से एच.आई.वी. का रोग भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे देश के लोगों को रोग से ग्रसित होने से बचाया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा। खासकर किसानों के लिए हम यहां उत्पादन की बात कर रहे हैं तो बहुत से नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी और इन्सपैक्टर समय-समय पर जाकर किसानों का शोाण करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। अगर एक एफ.आई.आर. हो जाती है तो पता चलता है कि 4-6 काश्तकार, जो छोटे और सीमान्त किसान हैं, वे उससे प्रभावित होते हैं। इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है।

मैं भाई दुयन्त सिंह जी ने जो अफीम के उत्पादन और उत्पादों के सामने जो बात लाई है, मैं उन्हें धन्यवाद देते हुए माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस विाय पर जोरदार तरीके से अफीम उत्पादन की अपनी एक नीति बनायें और किसानों को सुविधा दिलाने की बात करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, there is no new opium policy. This is the same policy which has been there for many years, a policy which I had implemented for two years earlier and the NDA Government implemented for six years. Therefore, there is no new opium policy. We are following the same policy. We are following the same method. The Minister calls the hon. Members who come from that area, listens to them and then a policy is announced. When representations are received, we make corrections in the policy.

I have visited Chittorgarh. My precedessor also visited the opium-growing areas. when there is an opportunity, I will once again visit the opium-growing areas to meet the opium cultivators to see if any further steps are to be taken.

Very quickly, I would deal with the issues. What is the problem? The problem is that exports which touched 718

metric tonnes in 1997-98 have now come down to 480 metric tonnes. The stocks of opium have increased from 497 metric tonnes to 1424 metric tonnes.

We are producing too much opium. There is no export market. The export market is dwindling. I may submit with great respect that the future is not a very good future for export of opium. It is, in these circumstances, that we had to take certain policy decisions. The first decision was to reduce the area to 10 ares. Now, this is not new. In 1991-92, in 1992-93 and in 1993-94, 10 ares were fixed for each cultivator because we wanted to accommodate as many cultivators as possible. And we have reduced it to 10 ares. If I increase it to 20 ares, then the number of cultivators will be halved. Therefore, in order to accommodate as many cultivators as possible, the only way out is to reduce the area per cultivator so that not too many of them are disappointed.

Sir, as regards the price, fantastic claims are made about price. I wish that is the history; but that is not so. The price that was given in 2002-2003 was between Rs.650 and Rs.1700, depending upon the output. In 2003-2004, it was between Rs.720 and Rs.2100. We have this year increased by five per cent across the board for every level. That is the increase possible under the circumstances. We have not reduced the price; on the contrary, we have increased the price.

Sir, the next point raised was about testing. We are not doing anything new. Testing is a well-recognised method and is followed. The tests are done at the field. Ninety per cent of the payment is made to the cultivator on the basis of the field test of the consistency of opium. Sir, the 'oven test' is carried out in a special and closed space of size 10x15 feet. The chemists deputed by the Central Revenue Control Laboratory carry out these tests. Considering space constraints, we accommodate only 30 to 40 cultivators in a space of 10x15 feet. But when the time for procurement comes, we will renew instructions and the system of determining consistency will be explained to all the cultivators present daily till conclusion of the weighment.

Sir, it is not that we are unresponsive. We did notify, for example, 58 kg. and 49 kg. as next year's forewarning. After receiving representations, I have reduced 58 kg. for MP and Rajasthan to 56 kg. Secondly, we had disqualified those who had tendered water-mixed opium. When it was brought to my notice that this forewarning had not been given last year, I immediately changed that and said that "all right we will not disqualify any one for the current year, but I am forewarning people for the next year that if they tender water-mixed opium, I am afraid, we will have to disqualify them". The reason is that the number of people tendering water-mixed opium is increasing year after year. Now, if we continue to allow this trend, then, I am afraid, more and more people will be encouraged to tender water-mixed opium, and we will have serious problems. For example, in UP, the percentage of cultivators, who have tendered water-mixed opium, have increased to 47 per cent, in Rajasthan - 23.5 per cent; and in MP - 18.69 per cent.

We are, therefore, forewarning them for next year that if you tender water-mixed opium this year, I will disqualify you next year. Otherwise, it is the same policy. I know that we should do something better. But, there is no opium market. The export market has virtually collapsed. But, I will do my best. When I visit opium-growing areas, I will talk to the opium cultivators. Hon. Members can be present and whatever best I can do in the circumstances, I will certainly do.

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी किसानों को चोर मान रहे हैं।â€¦ (व्यवधान) इसमें सिर्फ कुछ जगह ही गड़बड़ हो सकती है।â€¦ (व्यवधान) मशीन डिफैक्टिव है जिसकी वजह से दिक्कत आती है। मंत्री जी अफीम बंद करने की धमकी दे रहे हैं।â€¦ (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह, राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत लगातार मांग करते रहे हैं कि अफीम की खेती बंद की जाए। â€¦ (व्यवधान) मुझे लगता है कि यूपीए गवर्नमैंट बनने के बाद ये अफीम की खेती बंद करना चाहते हैं।â€¦ (व्यवधान) अफीम की खेती बंद करने की पूरी रूपरेखा बनाई जा रही है।â€¦ (व्यवधान) हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे।

15.00 hrs.

12 लाख लोगों का भविय इससे जुड़ा हुआ है। मेरा वित्त मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप किसानों के बारे में कुछ सोचिये। â€¦ (व्यवधान) उनकी खेती खत्म हो जायेगी। यह आज से नहीं बल्कि बरसों से चल रही है। â€¦ (व्यवधान)

SHRI DUSHYANT SINGH : Mr. Chairman, Sir, I need to seek a clarification from the Minister. I will take only one minute. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : There is no provision for clarification in the Rules.

SHRI DUSHYANT SINGH : Sir, I request you to allow me because this is a serious matter relating to farmers of Rajasthan.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Mr. Chairman, Sir, there is one more Calling Attention and we have to conclude it by 3.30 p.m.

श्री दुयंत सिंह : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बोला है कि उसमें एक्सपोर्ट की कोई मात्रा ही नहीं है। â€¦(व्यवधान) I would like to submit that the export during 2002-03 was to the tune of Rs. 270.62 crore and in 2003-04, it was to the tune of Rs. 279.55 crore. ...(*Interruptions*)

सभापति महोदय : कालिंग अटैंशन में उत्तर के बाद किसी प्रकार के क्लेरीफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है।

We will go to the next item now. Shri Chandrakant Khaire.